समाहरणालय, मुंगेर।

(खनन कार्यालय)

आदेश

बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम-7 के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति अधोलिखित क्रशर अनुज्ञप्तिधारी को दी गयी थी, किन्तु ससमय रजामंदी राशि जमा नहीं करने के कारण उन्हें स्मार निर्गत किया गया। इसके बावजूद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न तो बकाया राशि जमा किया गया और न ही खनिज भंडारण का कार्य ही बंद किया गया है।

क्रशर अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स गुरु शिव स्टोन वर्क्स की पूर्ण विवरणी निम्न है :-

क्रशधारी का नाम एवं पता	क्रशर स्थल	उच्चतम रजामंदी की राशि	बन्दोवस्ती का वर्ष	किस्त	किस्त की सं0	देय तिथि	जमा राशि	बकाया	कुल बकाया किस्त	अभियुक्ति	
										e.e. No.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मे0 गुरू शिव स्टोन वर्क्स, प्रो0-श्री रामरंजन प्रसाद सिंह, पिता- श्री सुरेश्वर प्र0 सिंह, ग्राम-बिन्दवाड़ा, जिला-मुंगेर	ग्राम- विशनपुर, प्लॉट नं0- 14, थाना-कासिम बाजार, अंचल-जमालपुर	13,00,000	28/2007 from 01-06-07 to 20 years	185714	प्रथम	31.12.07	185714	0	371428	28/ 10-11	371428
					द्वितीय	31.12.08	185714	0			
					तृतीय	31.12.09	185714	0			
					चतुर्थ	31.12.10	0	185714			
					पंचम	31.12.11	0	185714			

उपरोक्त विवरणी के अनुसार बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति मे0 गुरु शिव स्टोन वर्क्स को दी गयी थी। खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवम्बर, 2011 एवं जनवरी, 2012 से अबतक का मासिक विवरणी जमा नहीं किया गया है। उक्त क्रशरधारी के चतुर्थ एवं पंचम किस्त की देय राशि जमा करने हेतु क्रमशः इस कार्यालय के पत्रांक 707, दिनांक 22.02.11 एवं पत्रांक 172, दिनांक 29.03.12 एवं किस्त के लिए स्मार पत्रांक 329, दिनांक 21.06.12 तथा मासिक विवरणी के लिए पत्रांक 383, दिनांक 17.07.12 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त के आलोक में क्रशरधारी के विरुद्ध बकाया राशि ससमय जमा नहीं करने के कारण नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। साथ ही मासिक विवरणी दाखिल करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 219, दिनांक 10.04.12 द्वारा स्मार देने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। जिला खनिज विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार वर्ष 2011 के रिटर्न की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि उक्त क्रशरधारी द्वारा वर्ष भर में कोई उत्पादन एवं प्रेषण नहीं किया गया है।

पुनः दिनांक 11.10.12 को खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त क्रशर ईकाई में धूलकण रोकने का संयंत्र नहीं लगाया गया और न हीं क्रशर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। सफाई, जल छिड़काव तथा वृक्षारोपण भी नही किया गया है। प्रदुषण का वर्ष 2006 तक का ही कॉन्सेंट दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री लाईसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त क्रशर स्थल पर निरीक्षण के दौरान साईनबोर्ड, स्टॉक रजिस्टर तथा परिवहन चालान नहीं पाया गया।

विदित हो कि बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम 7(1)(h) से 7(1)(k) में प्रावधानित है कि :-

"7. Storage of major mineral and minor mineral beyond lease hold area-

(h) *Preference may be given to any person/person in cluster of crushing machines within 8 kms. from the leasehold/mining areas.*

(i) *The period of stone stockist licence for the use of crusher shall not be more than 20 years with following conditions.*

- *(i) The auction bid/tender amount shall be deposited in yearly basis in equal installments within seven years. Each equal installment shall be deposited before 31st December.*
- *(ii) After payment of installment of auction bid/tender amount or agreed amount up to seven years. renewal of stone stockist licence for the use of crusher shall be made on the deposit of Rs.5000/- every year up to thirteen years.*
- *(iii) The State Government shall issue a guideline from time to time in this regard.*

(j) Default in payment of any installment till prescribed date, a 24 percent simple interest shall be charged up to six month and after that action for cancellation of licence shall be taken.

(k) *Every stone stockist licence holder for the use of crusher shall maintain a register in form 'G' of this rule."*

इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी आगे राशि चुकता करने मे अभिरूचि नही रखते हैं। क्रशर संचालन में भी लगातार अनियमितता बरती जा रही है। इस निमित परिलक्षित अनियमितता एवं बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तो के अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है एवं खजिन विकास पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि वसूली हेतु बकाया राशि की गणना कर नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

Sd/-

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक 714 /खनन, दिनांक 29/12/12

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर खजिन विकास पदाधिकारी, मुंगेर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमालपुर/ अंचल अधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 गुरु शिव स्टोन वर्क्स, प्रो0-श्री रामरंजन प्रसाद सिंह, ग्राम- विन्दवारा, जिला-मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

29/12/12

समाहर्त्ता, मुंगेर।